

शिवमूर्ति की कहानी 'कुच्ची का कानून' में स्त्री चेतना

चन्द्रमा प्रसाद*

सारांश

'कुच्ची का कानून' सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ धारदार हथियार से चोट करता है। वह समाज जहाँ औरतें अपने अधिकार को जानते हुए भी खुद पर हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठा पातीं। वहीं प्रस्तुत कहानी की नायिका कुच्ची (राधिका) स्वयं के अस्तित्व के लिए आवाज उठाती है। स्वयं के कोख पर अपना अधिकार बताती है। भारतीय समाज जहाँ स्त्रियाँ सबसे दलित वर्ग में आती हैं, वहीं दलित वर्ग का पुरुष भी बाहर से आकर अपनी स्त्री पर हाथ उठाने से बाज नहीं आता और ज्यादातर मामलों में स्त्रियाँ अपना भाग्य मानकर सब कुछ चुपचाप सहती रहती हैं, परन्तु कुच्ची सारे गाँव के खिलाफ जाकर अपने और अपने बच्चे के लिए ढाल बनकर खड़ी होती है। प्रस्तुत कहानी उस सामाजिक व्यवस्था पर चोट करती है जो स्त्रियों के आचरण पर आवाज उठाती है। समाज के सामने यह प्रश्न उठाती है कि जब एक औरत नौ महीने बच्चे को कोख में रख कर अपने खून से सींचती है और अपने जीवन को संकट में डालती है तो आखिर उसके कोख पर किसी और का अधिकार क्यों? क्यों उसके बच्चे को पुरुष के नाम का अवलंब चाहिए? बच्चे को जन्म देने ना देने का अधिकार उसका होना चाहिए ना कि समाज का।

मुख्य शब्द— धारदार हथियार, अस्तित्व, सामाजिक व्यवस्था, नेतृत्व, उत्पीड़न, मातृसत्तात्मक, पंचायती राजव्यवस्था, प्रताड़ना, यौवन शोषण

प्रस्तावना

पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था नेतृत्व शास्त्रीय शब्द है, जिसे समाज की उन आदिम परिस्थितियों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जब पुरुषों ने सामाजिक सत्ता पर अधिकार प्राप्त कर लिया। पहले सामाजिक श्रम विभाजन ने उत्पादन शक्ति के विकास का नया दौर ही नहीं शुरू किया, बल्कि आदिम कम्प्यून के लोगों के जीवन-यापन में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। यह परिवर्तन सर्वप्रथम पशुपालकों में दिखाई पड़ा। इस समाज में पुरुष मुख्यतः शिकारी और चरवाहे होते थे। इसलिए पशुपालकों में पुरुषों का श्रम कम्प्यून के आर्थिक पहलू के लिए महत्वपूर्ण बन गया। इसी प्रक्रिया में पितृ प्रधानता का उदय हुआ। जब मनुष्य ने खेती करना शुरू किया तब भी पुरुष उसमें मुख्य श्रमशक्ति बने और उनका श्रम-गण के भौतिक मूल्यों के लिए निर्णायक बन गया एवं औरतों का काम गृह कार्य था। खेती के मुख्य काम के मुकाबले गृहकार्य गौड़ बन गया।

"आग की खोज सत्ता परिवर्तन में क्रांतिकारी योगदान है। आरंभ में मनुष्य कच्चा आहार ही करता था, परन्तु बाद में जब किसी तरह उसने आग की खोज कर ली तो वह पका मांस भी खाने लगा और जब एक बार उसे पके मांस के स्वाद का अनुभव हुआ तो आग की प्रबल आवश्यकता महसूस हुई। आग को निरंतर जलाये रखने के लिए गर्भवती नारी सर्वाधिक उपयुक्त साबित हुई। गर्भावस्था में प्रायः कठिन परिश्रम करने में असक्त होती है। अतः पुरुष ने घर में बैठकर निरंतर आग को जलाये रखने के काम में उसे लगा दिया और यही वह निर्णायक घड़ी थी जब नारी आग और चूल्हे से जोड़ दी गयी।"¹

कार्ल मार्क्स ने लिखा है कि "पुरुष और नारी के बीच पहला श्रम-विभाजन बच्चा पालन को लेकर हुआ था और एंगेल्स के शब्दों में इतिहास का पहला वर्ग विरोध एकनिष्ठ परिवार के अंदर पुरुष और नारी के विरोध के बढ़ाने के साथ-साथ सामने आता है और इतिहास का पहला वर्ग उत्पीड़क पुरुष द्वारा नारी के उत्पीड़न के साथ-साथ प्रकट होता है"²

संक्षेप में निजी संपत्ति और एक निष्ठ विवाह का उदय तथा आग की खोज, वे प्रमुख कारण हैं जब मातृसत्ता का विघटन हुआ और उसकी जगह पितृसत्ता ने ले ली। ऐतिहासिक विकास क्रम में माना जाता है कि समाज व्यवस्था पूर्व में मातृसत्तात्मक थी।

यह सच है कि पिछले दो सौ वर्षों में स्त्रियों ने बहुत से क्षेत्रों में काफी तरक्की की है। कभी बचपन में स्कूल जाने के डर से बार-बार कहीं और भाग खड़े होने वाले और आज हम सबको ग्रामीणों, किसानों, मजदूरों, स्त्रियों तथा दलितों के दुःख दर्द को सबसे अधिक गंभीरता के साथ पढ़ाने समझाने वाले महान कथाकार 'शिवमूर्ति' का जन्म कुरंग (जिला-सुल्तानपुर, उ.प्र.) जैसे एक छोटे से गाँव में एक सीमांत किसान परिवार में 11 मार्च 1950 को हुआ था।

* शोधछात्र, हिन्दी विभाग डी.एस. बी.परिसर, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

शिवमूर्ति कृत कहानी 'कुच्ची का कानून' एक ग्रामीण जीवन की कहानी होते हुए भी पूरे भारत वर्ष की त्रासदी कथा है जो विधवा कुच्ची (राधिका) परिस्थितिवश मायके की शरण न लेकर बूढ़े सास-ससुर की सेवा का संकल्प लेती है। जिसमें जेठ बनवारी से लेकर गाँव के लोग तक उसकी राह का रोड़ा हैं। कुच्ची इस स्त्री विरोधी समाज में अपनी अस्मिता परिवार और जर-जमीन की सुरक्षा के लिए जहाँ खुद संघर्ष करती है, वहीं पर दूसरे के बीज को अपनी कोख में रोपकर अपना वारिस पैदा करना चाहती है। पितृशक्ति विरोध में वह मातृसत्ता को स्थापित करने की वकालत करती है जो कुच्ची का एक बड़ा सामाजिक क्षेत्र है, पुरुष प्रधान समाज की जड़ें हिलाने वाला है। यहाँ पर बनवारी का धूर्तता से उसकी सम्पत्ति पर कब्जा करने का सपना चूर-चूर हो जाता है। तब बनवारी और पंच-सरपंच घेरा बनाकर, एक स्त्री के विरोध में आ जाते हैं। बनवारी पंचायत बुलाता है, जिसमें कुच्ची का यह बयान ध्यान देने योग्य है, 'मैं दूसरे से बीज लेकर अपने लिए सहारा पैदा कर रही हूँ। मैं अपनी कोख का उद्धार करना चाहता थी। अपने ऊपर लगे बाँझपन के कलंक को मिटाना चाहती थी.....'।³

कुच्ची (राधिका) अपना सहारा चाहती है और कहती है कि 'मुझे जरूरत लगी महाराज। मेरा आदमी तो एक बार मरकर फुरसत पा गया, लेकिन बेसहारा समझकर हर आदमी किसी न किसी बहाने मुझे रोज मार रहा था। मैं मरते-मरते थक गई, तो जीने के लिए अपना सहारा पैदा कर रही हूँ।'।⁴

यह लघु कहानी 'कुच्ची का कानून' एक ऐसी समस्या से अवगत कराती है, जिससे सीधे-सीधे हमारा सरोकार अभी नहीं है। इस कहानी में कुच्ची (राधिका) पढ़ी लिखी अथवा वर्ग चेतना से सम्पन्न होने के बावजूद समाज से बहुत कुछ सीखकर अपने भीतर संघर्ष एवं तर्कशीलता की विशिष्ट क्षमता पैदा करती है। यहाँ संघर्ष केवल जीने के अधिकार, मान सम्मान अपना अथवा सम्पत्ति की रक्षा नहीं है, बल्कि यह स्त्री का संघर्ष कोख का अधिकार जैसे विशिष्ट मुद्दे को लेकर है।

यहाँ कुच्ची (राधिका) जिस अधिकार की माँग कर रही है वहाँ न सड़क है न स्कूल। ऐसा इस गाँव में सम्पूर्ण समाज में भी पहले कभी न सुना गया था। एक विधवा स्त्री बिना किसी सामाजिक परंपरा की परवाह किये माँ बनने जा रही है। कहा जाता है कि उसे जानकर ही तो ब्रह्मा ने सृष्टि की जिम्मेदारी सौंप दी और स्वयं मुक्ति पा गये, लेकिन यहाँ बात थोड़ी हटकर है, कुच्ची स्वर्गीय बजरंगी की धर्मपत्नी और रामेश्वर भगत की बहू ने अपनी जरूरत के हिसाब से बच्चे के जन्म का निर्णायक कदम उठाया है। वह भी किसी गैर-मर्द से बीज का गुप्त दान प्राप्त करके।

कुच्ची भय, प्रताड़ना और यौवन शोषण का अपमान झेलने वाली एक अबला विधवा का जीवन नहीं जीना चाहती। वह अपना सम्मान बचाने के लिए, अपने हक को हासिल करने के लिए, अपने परिवार की सम्पत्ति की रक्षा के लिए और मातृत्व की पूर्णता के लिए वह संघर्ष करती है। कुच्ची निर्भीक हो कर बोलती है कि 'कुन्ती माई डर गयीं, अंजना माई डर गयी, सीता माई डर गयी, लेकिन बाल किशन की माई डरने वाली नहीं है। मेरा बालकिशन पैदा होकर रहेगा।'।⁵ यह सम्पूर्ण कहानी नारी के नेतृत्व का बेबाक चित्रण प्रस्तुत करती है।

'मेरा कहना है कि कोख देकर ब्रह्मा ने औरतों को फँसा दिया। अपनी बला उनके सिर डाल दी। अगर दुनिया की सारी औरतें अपनी कोख वापस कर दें तो क्या ब्रह्मा के बस का है कि वे अपनी दुनिया चला लें।'।⁶ 'जब मेरे पैर-हाथ, आँख-कान, पर मेरा हक है। इन पर मेरी मर्जी चलती है, तो मेरी कोख पर किसका हक होगा?'

इस तरह संवाद के साथ महिलाओं की स्वतंत्रता और हक के लिए आवाज उठाती है कुच्ची (राधिका) भारतीय समाज प्राचीन काल से ही पुरुष सत्तात्मक मानसिकता का अनुयायी रहा है। इसमें महिलाओं की स्वतंत्रता उनकी अभिव्यक्ति और संवेदना को कोई खास महत्व नहीं दिया जाता रहा है। उन्हें मात्र एक वस्तु के रूप में प्रयोग करने की सामग्री समझा गया है। कुच्ची विधवा होते हुए भी बिना दूसरा विवाह किए गर्भ धारण करती है, जो समाज के पुरुष मानसिकता को नागवार गुजरती है।

कुच्ची समाज के निम्न वर्ग की अशिक्षित विधवा स्त्री होकर ऐसी संतान पैदा कर रही है जिसका समाज पर दूरगामी प्रभाव पड़ने वाला है। जिससे समाज के कथित विघटन की ज्यादा आशंका है। तर्क सम्मत कहा जा सकता है, 'जब खेत मेरा, कोख मेरी, तो संतान पर बीजवाले का क्या हक है? 'लमेरा' को भी समाज में सम्मान से जीने का हक चाहिए'।⁷

यहाँ यह बात जरूरी होगी कि कथाकार छोटे तबके की स्त्रियों के पीड़ा के विश्लेषक हैं, लेकिन इस कहानी में स्त्री परास्त नहीं होती, बल्कि पंचायत को स्त्री का यह तर्क स्वीकारना पड़ता है कि कोख पर उसका अधिकार है। इसलिए उसके गर्भ धारण का अधिकार भी उसी का है। बाहरी हस्तक्षेप उसके इस अधिकार को बाधित नहीं कर सकता। यह भी नहीं कहा जा सकता है कि पंचायत के फैसले के बाद पुरुष ने अपनी सत्ता समर्पित कर दी। पंचायत द्वारा कुच्ची के पक्ष में दिये गये फैसले को मानने के लिए वह बाध्य जरूर होता है, लेकिन पंचायत की अवमानना के लिए वह माफी भी नहीं मांगता। कहानी

का यह अंत समाज और पुरुषों की मानसिकता का असली चेहरा भी सामने रखता है ।

सच तो यह है कि कुच्ची की कहानी में स्वप्न दिखता नहीं बल्कि आदमी के सपनों के संसार को जगाती है। यह कहानी मानव के स्वभाव को सहलाती नहीं अपितु दहलाती है। ऐसी कहानियाँ गाँव-जवार के सम्पूर्ण स्त्रियों को स्वाभिमान से जीने का रास्ता दिखाती हैं। यहाँ जीवन और समाज के कटुतम यथार्थ के आगे समाज के पुराने आदर्श चरमरा कर टूटते हैं। 'कुच्ची' पंचायतीराज व्यवस्था के सच को मूर्त करने की यह एक सार्थक पहल है। इसलिए वे जनतंत्र की इस प्रथम पाठशाला का अपनी कहानियों के माध्यम से एक व्यापक विमर्श तैयार किया। यही इस कहानी का नया पाठ है।

सन्दर्भ ग्रंथ—

मूल संदर्भ—:

1. डॉ.अमरनाथ, हिन्दी आलोचना की पारिभाषिक शब्दावली
2. शिवमूर्ति, कुच्ची का कानून
3. राय विजय, लमही अक्टूबर-दिसम्बर, 2019

सहायक—:

1. डॉ. अमरनाथ, हिन्दी अलोचना की पारिभाषिक शब्दावली, पृष्ठ 214
2. डॉ. अमरनाथ, उपरोक्त, पृष्ठ 214
3. शिवमूर्ति, कुच्ची का कानून, पृष्ठ 122
4. शिवमूर्ति, कुच्ची का कानून, पृष्ठ 118
5. शिवमूर्ति, कुच्ची का कानून, पृष्ठ 131
6. शिवमूर्ति, कुच्ची का कानून, पृष्ठ 121
7. शिवमूर्ति, कुच्ची का कानून, पृष्ठ 131
8. शिवमूर्ति, कुच्ची का कानून, पृष्ठ 134